क्रम-संख्या–27 (क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 फरवरी, 2023

माघ 28, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

संख्या 25/71–4099-192–2021

लखनऊ, 17 फरवरी, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि–6

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद के गठन, उक्त परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों, परिषद की कार्य संचालन प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख- रेख परिषद नियमावली 2023

भाग- एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2021) से है;

(ख) "परिषद" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद से है;

(ग) "राज्य चिकित्सा संकाय" का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 1228 – पांच -202, दिनांक 10 नवंबर 1926 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय से है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके लिये समनुदेशित हैं।

भाग- दो

परिषद का गठन

परिषद के अध्यक्ष का नाम-निर्देशन

3–(1) परिषद का अध्यक्ष, तलाश सह-चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित तलाश सह – चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(एक)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग;	अध्यक्ष
(दो)	कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय;	सदस्य
(तीन)	एक सदस्य किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ/ डॉ0 राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ/ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ / उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;	सदस्य
(चार)	एक विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;	सदस्य
(पांच)	एक विशेषज्ञ, मेदान्ता अस्पताल लखनऊ/ विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ/ अपोलो अस्पताल लखनऊ से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;	सदस्य
(छः)	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण;	संयोजक सदस्य

तलाश सह चयन समिति के विशेषज्ञों का नाम – निर्देशन

4–तलाश–सह-चयन समिति के विशेषज्ञों का नाम निर्देशन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री द्वारा किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा पैनल के नामों में यथावश्यकता संशोधन किया जा सकेगा।

परिषद के अध्यक्ष का नाम निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया

5–तलाश–सह-चयन समिति द्वारा परिषद के अध्यक्ष के नाम निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(एक) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण् द्वारा कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों (अंग्रेजी व हिन्दीं भाषा) में व्यापक प्रकाशन कर और साथ ही साथ अपने वेबसाईट पर अपलोड करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

(दो) नियत समय के भीतर प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा करते हुए वांछित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के प्रयोजनार्थ सूचीबद्ध किया जायेगा।

(तीन) तलाश-सह-चयन समिति चयन हेतु युक्तियुक्त कार्यप्रणाली अपने स्तर पर अवधारित करेगी तथा अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी किन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं योग्यता आधारित रीति से हो।

(चार) तलाश-सह-चयन समिति, प्रत्येक रिक्ति के लिए अपनी राय से उक्त पद धारण करने हेतु उपयुक्त कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी जिसके साथ एक संक्षिप्त विवरण होगा जिसमें ऐसे पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताएं दर्शायी जायेगी किन्तु कोई अधिमान क्रम संसूचित नही किया जायेगा। यह पैनल राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री को आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(पांच) तलाश-सह-चयन समिति द्वारा किसी व्यक्ति की संस्तुति किये जाने से पूर्व स्वयं यह समाधान कर लिया जायेगा कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित निहित नहीं होगा जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ।

(छः) कोई नाम निर्देशन, तलाश-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति होने अथवा किसी सदस्य के अनुपस्थित होने मात्र से अविधिमान्य नहीं होगा ।

(सात) मुख्यमंत्री, तलाश-सह-चयन समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत नामों के पैनल में से परिषद का अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट करेंगे।

(आठ) जहाँ मुख्यमंत्री, तलाश-सह-चयन समिति द्वारा संस्तुत एक या एक से अधिक व्यक्ति को उपयुक्त नहीं पाते हैं अथवा यदि संस्तुत व्यक्तियों में एक या एक से अधिक व्यक्ति उपलब्ध न हो/ हों तो वह समिति से नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

(नौ) राज्य सरकार, मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाये जाने के कारण हुयी रिक्ति के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर अथवा कार्यकाल समाप्त होनेके तीन माह पूर्व परिषद के अध्यक्ष के नाम-निर्देशन हेतु तलाश-सह-चयन समिति को निर्दिष्ट करेगी।

धारा 22 (3) के खण्ड (ङ.), (च) के अधीन परिषद के सदस्यों का नाम-निर्देशन तथा धारा 29 (2) के अधीन स्वायत्तशासी बोर्ड के सभापति/सदस्यों की नियुक्ति

6–(1) परिषद के सदस्यों के नाम-निर्देशन तथा स्वायत्तशासी बोर्ड के सभापति /सदस्यों की नियुक्ति के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रत्येक रिक्ति के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जायेगा और उसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री को प्रेषित किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा पैनल के नामों में यथावश्यकता संशोधन किया जा सकेगा।

(2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित रीति से पैनल तैयार करने हेतु अपनी कार्यप्रणाली अवधारित करेगा तथा अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल में, ऐसा संक्षिप्त विवरण निहित होगा जिसमें ऐसे पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताएं दर्शायी जायेगी ।

(4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम पैनल में सम्मिलित हो, का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जिससे अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

(5) मंत्री, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रस्तुत नामों के पैनल में से परिषद के सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करेंगे तथा स्वायत्तशासी बोर्ड के सभापति/ सदस्य की नियुक्ति करेंगे।

(6) राज्य सरकार मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाये जाने के कारण हुयी किसी रिक्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर अथवा कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह पूर्व, स्वायत्तशासी बोर्ड/ परिषद के सभापति/ सदस्य की नियुक्ति/ नामनिर्देशन हेतु, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को निर्दिष्ट करेगी।

सभापति की अर्हता

7–सभापति उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता, तथा सत्यनिष्ठा युक्त व्यक्ति होगा जो किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी वृत्ति में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करता हो और जिसके पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख विज्ञान में पच्चीस वर्ष से अन्यून अनुभव हो, जिसमें कम से कम दस वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में रहा हो।

धारा 22(3) (ङ) के अधीन सदस्य की अर्हता

8–धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के अधीन परिषद का सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध, प्रशासनिक क्षमता तथा सत्यनिष्ठा युक्त व्यक्ति होगा जो किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी में स्नातक अधिमानत: स्नातकोत्तर की उपाधि धारित करता हो और जिसके पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हो :

परन्तु यह कि अर्हतोपरान्तअनुभव की गणना करते समय स्नातक(विज्ञान) उपाधि पूर्ण होने के पश्चात् सेवा वर्ष आगणित किये जायेंगे।

धारा 22(3) (छ) के अधीन सदस्य की अर्हता

9–धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (छ)के अधीन परिषद का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो अधिमानत: तृतीयक या सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सहित स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली में वहनीय स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा के सीधे परिदान में संलग्न कम से कम पन्द्रह वर्ष से सक्रिय पूर्त संस्थाओं के मध्य से उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता, तथा सत्यनिष्ठा युक्त व्यक्ति हो :

परन्तु यह कि किसी संस्थान का प्रतिनिधित्व एक समय में एक से अधिक नाम-निर्देशिती द्वारा नहीं किया जायेगा।

स्वायत्तशासी बोर्ड

10–स्वायत्तशासी बोर्ड का सभापति अथवा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी वृत्ति में न्यूनतम स्नातक उपाधि तथा अधिमानत: स्नातकोत्तर उपाधि धारित करता हो और जिसके पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में दस वर्ष से अन्यून अनुभव हो, जिसमें से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों के क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता तथा सत्यनिष्ठा हो और जो सम्बन्धित श्रेणी से रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक हो।

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख परिषद तथा स्वायत्तशासी बोर्ड के अध्यक्ष, सभापति तथा सदस्य का वेतन और भत्ते

11–(1) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक को परिषद के अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये जाने की दशा में पे-मैट्रिक्स लेवल 14–रू0 144200-218200 अनुमन्य होगा। सेवानिवृत्त कार्मिक की दशा में लास्ट पे-ड्रान माइनस पेंशन अनुमन्य होगा।

(2) यदि परिषद का अध्यक्ष केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन तथा भत्ते उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित होंगे। परिषद में उसका कार्यकाल राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण माना जायेगा।

(3) स्वायत्तशासी बोर्ड एवं परिषद के सभापति तथा सदस्यों को समय-समय पर यथाप्रयोज्य नियमों के अनुसार राज्य सरकार के वेतन मैट्रिक्स रू0 131100-216600 के समतुल्य यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते संदत्त किए जायेंगे ।

(4) सभापति तथा सदस्य परिषद की बैठक के प्रत्येक दिन के लिये रू0 5000/- (पांच हजार रूपए मात्र) या परिषद द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित बैठक शुल्क के भी हकदार होंगे।

परिषद के अध्यक्ष, सभापति तथा सदस्यों की अन्य सेवा शर्तें

12–(1) परिषद तथा स्वायत्तशासी बोर्ड के अध्यक्ष, सभापति तथा सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अधिकतम दो कार्यकाल की अवधि तक के लिए पुन: नाम- निर्देशन हेतु पात्र होंगे।

(2) नियमित सरकारी कर्मचारी पर लागू अवकाश नियम,समेकित वेतन पर नियुक्त अध्यक्ष पर लागू नहीं होंगे। ऐसा नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में आनुपातिक आधार पर बारह दिन के अवकाश का हकदार होगा।

(3) समेकित वेतन पर नियुक्त व्यक्ति से भिन्न अध्यक्ष का अवकाश तथा अन्य हक, राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु लागू प्रचलित नियमों या मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार होंगे।

(4) राज्य परिषद के अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(5) अध्यक्ष/ सभापति एवं सदस्यगण, अपने भत्तों से संबंधित देयकों के संबंध में स्वंय नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे।

(6) स्वायत्तशासी बोर्ड का सभापति या सदस्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्य हेतु यथा उल्लिखित रीति से अपना पद त्याग सकता है या उसे अपने पद से हटाया जा सकता है।

(7) परिषद के अध्यक्ष को, आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी, राज्य सरकार में समतुल्य स्तर के कर्मचारियों हेतु प्रचलित नियमों या मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार दाखिल करनी होगी।

(8) अध्यक्ष को अपनी प्रथम नियुक्ति पर तथा पद छोड़ते समय इस नियमावली के साथ अनुलग्न प्रपत्र– क में दी गयी रीति से अपनी वृत्तिक तथा वाणिज्यिक अभिनियोजन या सम्बद्धता भी घोषित करनी होगी।

अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन परिषद के सचिव,अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें

13–(1) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक को सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये जाने की दशा में पे-मैट्रिक्स लेवल 13 (क) रू0 131100-216600 अनुमन्य होगा। सेवानिवृत्त कार्मिक की दशा में लास्ट पे-ड्रान माइनस पेंशन अनुमन्य होगा ।

(2) यदि, परिषद का सचिव राज्य सरकार /केन्द्र सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन तथा भत्ते, उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किये जायेंगे और परिषद में उसका कार्यकाल राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण माना जायेगा।

परिषद के सचिव का कार्यकाल

14–परिषद का सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथापि, यदि सचिव अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अपने पद से प्रविरत हो जायेगा।

परिषद के सचिव की अर्हता

15–परिषद का सचिव निम्नलिखित अर्हताएं धारित करेगा :-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त डिम्ड विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा या स्वास्थ्य देख रेख नीति या स्वास्थ्य प्रशासन या लोक स्वास्थ्य के किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ख) उत्कृष्ट कार्य क्षमता एवं सिद्ध प्रशासनिक क्षमता एवं सत्यनिष्ठा;

(ग) दस वर्ष से अन्यून प्रशासनिक अनुभव। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय में अनुभव को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

सचिव की भूमिका

16–(1) सचिव, परिषद सचिवालय के कार्यालय के संबंध में ऐसी शाक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन "कार्यालय प्रमुख" द्वारा प्रयोग किया जाता है और वह ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि अधिनियम और नियमावली में दिये गये हो।

(2) सचिव परिषद की सम्पत्ति की सुरक्षा और परिषद सचिवालय, लेखा एवं पत्राचार नियंत्रण और प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी होगा और यह अवलोकित करेगा कि कर्मचारी समय पर उपस्थित होते हैं और सामान्यत: ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं जैसा कि अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनसे परिषद और सलाहकार परिषद तथा वृत्तिक बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए।

(3) सचिव परिषद, उसकी किसी उप समिति, सलाहकार परिषद और वृत्तिक बोर्ड एवं परिषद या उसके किसी निकाय द्वारा स्थापित की जाने वाली अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होगा तथा उनकी कार्यवाहियों को नोट करेगा।

(4) सचिव, किसी विद्यमान नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से अन्यून 90 दिन पूर्व, होने वाली रिक्ति की ओर अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण करेगा और अध्यक्ष परिषद को तत्काल इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि नई नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी हो सके जिस दिनांक को विद्यमान नियुक्ति समाप्त हो ।

(5) सचिव परिषद के निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए यात्रा, ठहराव एवं अन्य भत्तों के लिए प्रमाणनकर्ता अधिकारी होगा और सचिव के लिए परिषद का अध्यक्ष होगा।

(6) परिषद के सचिव एवं अन्य अधिकारियों के अवकाश एवं अन्य हक उत्तर प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार होंगे।

(7) सचिव परिषद के अन्य समस्त कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(8) परिषद का सचिव आस्तियों एवं देनदारियों की विवरणी उस रीति से दाखिल करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार में समान स्तर के कर्मचारियों के लिए विहित किया गया हो।

(9) सचिव अपनी प्रथम नियुक्ति पर तथा पद छोड़ते समय अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक अभिनियोजन या सम्बद्धता की भी घोषणा करेगा जैसा कि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र-क में दिया गया हो।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों (सचिव से भिन्न) के कर्तव्य व कार्यकाल

17-(1) परिषद के अधिकारी और कर्मचारी जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरा करते हैं, उस माह के अंतिम दिनांक के अपराह्न में अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त हो जायेंगे।

(2) परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी सचिव के समग्र पर्यवेक्षण में ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हे परिषद के अध्यक्ष और सचिव द्वारा समय -समय पर सौपें जाएं।

(3) परिषद का अध्यक्ष परिषद के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। अध्यक्ष परिषद के सचिव को अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(4) परिषद राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन विभिन्न संवर्ग, कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों, प्रशासन, लेखा, आईटी, सहायक कर्मचारिवृंद आदि में नया या स्थायी पद सृजित या समाप्त करेगी, जैसा कि वह परिषद के सुगम कार्यसंचालन के लिए आवश्यक समझे।

(5) उक्त पद राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों अनुसार प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जायेंगे।

(6) परिषद अपनी आय-व्ययक निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर यथा अपेक्षित सलाहकार की नियुक्ति कर सकती है।

(7) परिषद समय समय पर राज्य सरकार के मार्गदर्शी सिन्द्धातों के अनुसार आउटसोर्सिंग से विभिन्न पदों अर्थात् कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनों, ड्राइवर, चपरासी और गार्ड पर कर्मचारियों की भर्ती कर सकती है।

(8) परिषद राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने कर्मचारियों हेतु भर्ती, पदोन्नति, वेतनमान अवकाश, अग्रिम और अन्य सेवा सम्बंधी मामलों के लिए नियमावली बना सकती है

भाग-तीन

परिषद् की बैठकें एवं कार्यसंचालन

परिषद् की बैठकों का समय व स्थान

18-(1) परिषद् की बैठकों का समय व स्थान का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष किसी अत्यावश्यक मामले से निपटने के लिए तीन दिन का नोटिस देने के पश्चात किसी भी समय परिषद् की विशेष बैठक आहूत कर सकता है:

परन्तु यह कि किसी विशेष बैठक में उसी विषय या विषयों पर विचार-विमर्श किया जायेगा जिसके /जिनके विचारार्थ बैठक आहूत की गयी हो।

बैठकों की नोटिस तथा कार्यसूची के पत्रजात

19-(1) किसी विशेष बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक की नोटिस सचिव द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक के दिनांक से अन्यून पन्द्रह दिन पूर्व संसूचित की जायेगी।

(2) सचिव बैठक की नोटिस के साथ बैठक से पूर्व लाये जाने वाले कार्य एवं लाये जाने वाले समस्त प्रस्तावों, जिनके सम्बंध में लिखित नोटिस उसके पास पूर्व में पहुंच गयी हो, के निबंधनों तथा प्रस्तावकों के नामों को दर्शाते हुए एक प्रारम्भिक कार्यसूची पत्रजात जारी करेगा।

(3) किसी सदस्य, जो प्रारम्भिक कार्यसूची पत्रजात में सम्मिलित न किया गया कोई प्रस्ताव लाना चाहे अथवा इस प्रकार सम्मिलित किये गये किसी प्रस्ताव में संशोधन लाना चाहे, को बैठक हेतु नियत दिनांक से सुस्पष्ट रूप से अन्यून पांच दिन पूर्व सचिव को नोटिस देनी होगी।

(4) सचिव बैठक के लिए नियत दिनांक से सुस्पष्ट रूप से अन्यून दस दिन पूर्व अथवा किसी विशेष बैठक के मामले में, बैठक की नोटिस के साथ बैठक के समक्ष लाये जाने वाले कार्य को दर्शाते हुए एक पूर्ण कार्य सूची पत्रजात जारी करेगा।

(5) किसी सदस्य, जो कार्यसूची पत्रजात में सम्मिलित किये गये किन्तु प्रारंभिक कार्यसूची पत्रजात में सम्मिलित न किये गये किसी प्रस्ताव में कोई संशोधन लाना चाहे, को बैठक के लिये नियत दिनांक से सुस्पष्ट रूप से अन्यून तीन दिन पूर्व सचिव को तत्सम्बंध में नोटिस प्रदान करनी होगी।

(6) सचिव को ऐसे समस्त संशोधनों, जिनके सम्बंध में नोटिस उप नियम (5) के अधीन दी गई हो, की सूची प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध करानी होगी :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि परिषद् लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सहमत हो, इस तथ्य के होते हुए भी कि इस नियम के अनुपालन को अंगीकृत करने हेतु तत्सम्बंधी नोटिस विलम्ब से प्राप्त हुई थी, किसी बैठक में प्रस्ताव लाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

प्रस्ताव की स्वीकार्यता

20–अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकता है।

(1) यदि इससे सम्बंधित मामला परिषद के कृत्यों की परिधि के भीतर न हो;

(2) यदि उस बैठक, जिसमें वह मामला लाये जाने हेतु अभिकल्पित किया गया हो, के दिनांक से ठीक पूर्व छः माह के दौरान किसी भी समय प्रस्ताव या संशोधन के रूप में मौलिक रूप में वही प्रश्न, जो परिषद की अनुज्ञा से लाया गया हो या प्रत्याहृत किया गया हो, उठाया जाता है:

परन्तु यह कि ऐसा प्रस्ताव परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों की अध्यपेक्षा पर उक्त प्रयोजनार्थ आयोजित परिषद की विशेष बैठक में अंगीकृत किया जा सकता है परन्तु यह और कि इस नियमावली के किसी बात से अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा परिषद के लिये निर्दिष्ट किसी मामले पर विचार विमर्श किये जाने को प्रतिषिद्ध करना प्रवर्तित नहीं होगा।

(3) जब तक कि स्पष्ट तथा संक्षिप्त रूप से अभिव्यक्त नही किया जाता है और मौलिक रूप से एक निश्चित बिन्दु को नही उठाया जाता है;

(4) यदि इसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, अभ्यारोपण (लांछन), या मानहानिकारक कथन सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि यदि कोई प्रस्ताव संशोधन द्वारा अनुमन्य किया जा सकता है, तो अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बदले में उसे संशोधित रूप में स्वीकार कर सकता है। जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत करेगा तो सचिव को तत्संबंधी अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए सम्बंधित सदस्य को सूचित करना होगा।

गणपूर्ति के अभाव में स्थगन

21–(1) बैठक की गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित परिषद् के कुल आधे सदस्यों से होगी।

(2) यदि बैठक के लिए नियत किसी समय अथवा किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान, गणपूर्ति न हो, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, और यदि गणपूर्ति न हो ऐसे स्थगन से तीस मिनट के अवसान होने पर बैठक उस भावी दिनांक तथा समय तक स्थगित रहेगी जैसा कि परिषद का अध्यक्ष नियत करे।

(3) विशेष बैठक की गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित परिषद के कुल एक तिहाई सदस्यों से होगी।

कार्य संचालन

22–(1) अध्यक्ष, परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने मध्य से किसी सदस्य का चुनाव करेंगे।

(2) किसी सदस्य द्वारा उठाया गया प्रत्येक मामला सदस्य द्वारा सम्यक समर्थन से लाये गये प्रस्ताव पर अवधारित किया जायेगा और अध्यक्ष द्वारा परिषद को प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जब कोई प्रस्ताव लाया गया हो, और उसका समर्थन किया गया हो और उसे अध्यक्ष द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, तो सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से समाधान किये जाने वाले प्रश्न के रूप में इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है अथवा कोई सदस्य संशोधनों की परिधि में नियम-25 के अध्यधीन प्रस्ताव में किसी संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है:

परन्तु अध्यक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उस संशोधन की अनुज्ञा नहीं देगा। जो यदि मौलिक प्रस्ताव रहा होता, परिषद् के कृत्यों की परिधि से परे विचार करने के लिए अस्वीकार्य होता।

(4) बैठक से अनुपस्थित किसी सदस्य के नाम से कोई प्रस्ताव या संशोधन अध्यक्ष की अनुज्ञा से अन्य सदस्य द्वारा अग्रेनीत किया जा सकता है।

प्रस्तावों में संशोधन

23–जब किसी प्रस्ताव के लिए संशोधन लाया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है अथवा जब दो या दो से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं और उनका समर्थन किया जाता है तो अध्यक्ष को मूल प्रस्ताव और संशोधन अथवा प्रस्तावित किये गये संशोधनों की निबंधनों को क्रमानुसार परिषद् के समक्ष उल्लिखित करना होगा अथवा उनका वाचन करना होगा।

समरूप प्रस्ताव

24–जब दो या दो से अधिक सदस्यों के नाम से प्रयोजन के अनुरूप प्रस्ताव विद्यमान हों तो अध्यक्ष को यह विनिश्चय करना होगा कि किसका प्रस्ताव बढ़ाया जाय और तदोपरान्त अन्य प्रस्ताव प्रत्याहृत समझा जायेगा/समझे जायेंगे।

संशोधनों की परिधि

25 – (1.) कोई संशोधन उस प्रस्ताव, जिसके लिये संशोधन प्रस्तावित हो, से सुसंगत होगा और उसकी परिधि के भीतर होगा।

(2) ऐसा संशोधन जो मूल प्रस्ताव को नकारता हो, का प्रस्ताव किया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष, परिषद् के समक्ष उस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए इंकार कर सकता है जो उसकी राय में प्रस्ताव से सुसंगत न हो।

संशोधनों का प्रपत्र

26–प्रस्ताव को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया जा सकता है:

(क) शब्दों को निकालना, बढ़ाना अथवा उनमें परिवर्द्धन करना, और

(ख) किसी मूल शब्द के लिए शब्दों का प्रतिस्थापन करना।

विचार-विमर्श करना

27–(1) जब कोई प्रस्ताव अथवा संशोधन विचार-विमर्श के अर्न्तगत हो, तो उसके सन्दर्भ में निम्नलिखित से भिन्न कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा ,–

(क) नियम-25 में यथा प्रस्तावित, यथास्थिति प्रस्ताव का संशोधन या उसमें संशोधन;

(ख) किसी निर्दिष्ट दिनांक और समय के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए प्रस्ताव या संशोधन पर विचार-विमर्श के स्थगन के लिए प्रस्ताव;

(ग) समापन के लिए कोई प्रस्ताव अर्थात् ऐसा कोई प्रस्ताव जिसमें अब प्रश्न पूछा जाना हो;

(घ) ऐसा प्रस्ताव जिस पर परिषद् इस प्रस्ताव को व्यवहृत करने की कार्यवाही के बजाय कार्य के कार्यक्रम में अगले मद की ओर बढ़ जाती है:

परन्तु यह कि इस प्रकृति के किसी प्रस्ताव को किसी ऐसे सदस्य द्वारा आगे नही बढ़ाया जायेगा जो बैठक से पूर्व उक्त प्रश्न पर पहले ही बोल चुका हो:

परन्तु यह और कि समापन हेतु अथवा अगले मद की ओर निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव को बिना किसी विचार-विमर्श के आगे बढ़ाया जायेगा।

(2) किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन पर विचार-विमर्श के स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा।

(3) समापन प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने पर, अध्यक्ष प्रस्तावक को उत्तर दिये जाने के अधिकार की अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात् मतदान हेतु मौलिक प्रस्ताव अथवा संशोधन प्रस्तुत करेगा।

प्रस्ताव का प्रत्याहरण

28–प्रस्तावकृत और समर्थनकृत कोई प्रस्ताव या संशोधन, परिषद की ऐसी अनुज्ञा के सिवाय प्रत्याहृत नहीं किया जायेगा जिसे स्वीकृत किया गया नहीं समझा जायेगा यदि कोई सदस्य अनुज्ञा प्रदान किये जाने से असन्तुष्ट रहता है।

सदस्यों द्वारा चर्चा

29–जब कोई प्रस्ताव लाया जाय और उसका समर्थन किया जाय तो प्रस्तावक और समर्थनकर्ता से भिन्न सदस्य उक्त प्रस्ताव पर उस क्रम में बोल सकते है, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे:

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव अथवा संशोधन का समर्थनकर्ता अध्यक्ष की अनुज्ञा से, यथास्थिति प्रस्ताव अथवा संशोधन, का समर्थन करने और विचार-विमर्श के किसी अनुवर्ती चरण में उस पर बोलने तक स्वयं को सीमित रख सकता है।

प्रस्तावकर्ता का उत्तर देने का अधिकार

30–किसी प्रस्ताव का प्रस्तावकर्ता, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात हो और किसी संशोधन का प्रस्तावकर्ता अन्तिम उत्तर देने का अधिकार के हकदार होंगे और कोई सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने या किसी सदस्य के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करने तथा परिषद को सम्बोधित करने के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय किसी विचार विमर्श में एक बार से अधिक नहीं बोलेगा:

परन्तु यह कि कोई सदस्य विचार-विमर्श के किसी चरण में उसमें विधि अथवा सांविधिक प्रक्रिया के बिंदु का मौलिक रूप से समावेश करते हुए क्रम से संबंधित बिन्दु उठा सकता है किन्तु उसे कोई भाषण देने की अनुज्ञा नही होगी:

परंतु यह और कि किसी प्रस्ताव पर बोल चुका कोई सदस्य प्रस्ताव हेतु किये गये अनुवर्ती संशोधन पर पुन: बोल सकता है।

प्रस्ताव पर मतदान

31–जब अनेक बिन्दुओं से अन्तर्ग्रस्त किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया हो तो अध्यक्ष का यह विवेक होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित करे और मतदान हेतु प्रत्येक या कोई बिन्दु पृथक-पृथक प्रस्तुत करे जैसा कि वह उचित समझे।

प्रस्ताव हेतु संशोधन पर मतदान

32–(1) किसी प्रस्ताव पर संशोधन को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक संशोधन हो, तो अध्यक्ष को उस क्रम पर विनिश्चय करना होगा जिस क्रम में उन्हें ग्रहण किया जायेगा।

(3) मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जायेगा, किन्तु यह मतपत्र द्वारा हो सकता है, यदि उस आशय की मांग अन्यून तीन सदस्यों द्वारा की जाय।

(4) मतों का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जायेगा।

(5) मतों के समान होने की स्थिति में, अध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मतदान करने का अधिकार होगा।

बैठकों का स्थगन

33–(1) अध्यक्ष यदि किसी समय आवश्यक समझे, किसी बैठक को किसी आगामी दिनांक या उसी दिवस में किसी अन्य समय तक के लिए कारणों को उल्लिखित करते हुए स्थगित कर सकता है।

(2) जब कभी कोई बैठक आगामी दिनाँक तक के लिए स्थगित की जाय तो सचिव को समस्त सदस्यों को स्थगित बैठक की नोटिस प्रेषित करनी होगी।

(3) जब कोई बैठक किसी आगामी दिनाँक तक के लिये स्थगित की गई हो और अध्यक्ष इसे बाध्यकारी कारणों से किसी अन्य दिनाँक के लिए परिवर्तित कर देता है, तो सचिव को उक्त परिवर्तन की संसूचना प्रत्येक सदस्य को देनी होगी।

(4) किसी आगामी दिनांक तक के लिये स्थगित किसी बैठक में पूर्ववर्ती दिनांक के किसी प्रस्ताव पर, जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे कार्यसूची में अन्य मामलों से अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(5) बैठक के प्रारम्भ में अथवा बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष कार्यसूची में कार्य के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि परिषद् सहमत हो, तो ऐसा परिवर्तन किया जायेगा।

(6) ऐसे किसी मामले, जो मूल बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित न किया गया हो, पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जायेगी

(7) किसी स्थगित बैठक के लिए वही गणपूर्ति आवश्यक होगी जो सामान्य बैठक के लिए है।

आदेश के बिन्दु

34–(1) अध्यक्ष को आदेश या विवादों के समस्त बिंदुओं जो, किसी बैठक में उठ सकते हैं, पर विनिश्चय करना होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न किसी मामले की प्रक्रिया के संदर्भ में उठता है, जिसके लिए इस नियमावली में कोई उपबंध न हों, तो अध्यक्ष को उस पर विनिश्चय करना होगा।

परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

35–परिषद की बैठकों में सदस्यों, परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भिन्न कोई व्यक्ति अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा अथवा विशेष आमंत्रण के सिवाय उपस्थित नहीं होगा।

धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन राज्य पंजी में रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस

36–(1) परिषद् को उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक पंजी अनुरक्षित करनी होगी जो ऑन लाइन और लाइव होगी।

(2) आवेदक इस नियमावली से सहबद्ध प्रपत्र-ख में यथा प्रदत्त प्रारूप में अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये परिषद द्वारा अभिकल्पित प्रारूप में आवेदन करेगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद निधि के पक्ष में संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में आवेदन के साथ परिषद द्वारा यथा नियत फीस प्रभारित की जा सकती है:

परन्तु यह कि परिषद द्वारा फीस नियत किये जाने तक उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा विहित फीस प्रभारित की जायेगी।

भाग-चार

प्रपत्र/फीस एवं पंजियां

धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

37–इस नियमावली से अनुलग्न अथवा परिषद द्वारा यथा उपांतरित प्रपत्र-ग में दी गयी रीति से सचिव द्वारा एक प्रमाण-पत्र अपनी मुहर से जारी किया जायेगा।

धारा 34 के अधीन फीस एवं प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति का प्रपत्र

38–(1) इस नियमावली से अनुलग्न अथवा परिषद द्वारा यथा उपांतरित प्रपत्र-ग में दी गयी रीति से सचिव द्वारा एक प्रमाण-पत्र अपनी मुहर से जारी किया जायेगा।

(2) प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के मामले में परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा नियत फीस, जो उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख परिषद निधि के पक्ष में संदेय हो, आवेदन पत्र के साथ प्रभारित की जा सकती है:

परन्तु यह कि परिषद द्वारा फीस नियत किये जाने तक उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा विहित फीस प्रभारित की जायेगी।

धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन फीस एवं ऐसी फीस के संदाय की रीति

39–(1) इस नियमावली से अनुलग्न या परिषद द्वारा यथा उपांतरित प्रपत्र-ग में दी गयी रीति से सचिव द्वारा एक नवीकरण प्रमाण-पत्र अपनी मुहर से जारी किया जायेगा।

(2) नवीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में परिषद द्वारा समय-समय पर यथा नियत फीस, जो उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद निधि के पक्ष में संदेय हो, आवेदन के साथ प्रभारित की जा सकती है।

धारा 35 की उपधारा 2 के परन्तुक के अधीन राज्य पंजी में नाम पुनः अंकन की फीस

40–धारा 35 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी का नाम हटाने के मामले में इस प्रकार हटाये गये नाम का पुनः अंकन, उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद निधि के पक्ष में संदेय परिषद द्वारा समय-समय पर नियत शुल्क का संदाय किये जाने पर आवेदन पत्र सहित उक्त पंजी में किया जा सकता है।

धारा 37 के अधीन राज्य पंजी में नाम पुनः अंकन की फीस

41–(1) राज्य पंजी में किसी व्यक्ति का नाम पुनः अंकित किये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद निधि के पक्ष में संदेय परिषद द्वारा समय-समय पर नियत फीस प्रभारित की जा सकती है।

(2) राज्य पंजी में अतिरिक्त प्रविष्टि हेतु आवेदन का प्रपत्र, रीति तथा फीस निम्नानुसार होंगे:-

(एक) राज्य सहबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक पंजी में अतिरिक्त अर्हता रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन, परिषद को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(दो) नयी अर्हता/अनुवर्ती शिक्षा के लिये समय-समय पर यथा निर्धारित उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद निधि के पक्ष में संदेय फीस प्रभारित की जा सकती है

(तीन) अतिरिक्त अर्हता की प्रति (सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उपाधि या डिप्लोमा) आवेदन के साथ प्रेषित की जायेगी जिसके लिए अतिरिक्त प्रति वांछित है।

(3) प्रपत्र (घ) में या परिषद द्वारा यथा उपांतरित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र, सचिव द्वारा अपनी मुहर से जारी किया जायेगा।

धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों हेतु निधि के आवेदन की रीति

42–धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, अधिनियम/परिषद के प्रयोजन हेतु परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत परिषद के व्ययों के लिए परिषद द्वारा यथा विनिश्चित रीति से प्रयुक्त की जायेगी।

धारा 53 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का समय तथा प्रपत्र

43–प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह माह की अवधि समाप्त होने पर परिषद राज्य सरकार द्वारा विहित वित्तीय विवरण संकलित करने हेतु टिप्पणियों तथा अनुदेशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों, लेखा टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सहित निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगी :–

(क) तुलन पत्र

(ख) आय एवं व्यय लेखा

(ग) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण को परिषद द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत किया जायेगा और उसका अधिप्रमाणन करने के प्रयोजनार्थ परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) परिषद के अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण का लेखा-परीक्षा परिषद द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से कराया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक छः माह पर परिषद की बैठक में उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) परिषद इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र (ङ) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(5) परिषद को प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक वार्षिक रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी में राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

भाग-5
प्रकीर्ण

अन्तरिम व्यवस्था

44–(1) राज्य चिकित्सा संकाय नियमावली के अधीन गठित शासी निकाय तीन वर्ष तक के लिये अथवा अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन यथा उल्लिखित राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद के सरकारी गजट में अधिसूचित किये जाने तक के लिए, जो भी पूर्ववर्ती हो, विद्यमान तथा क्रियाशील रहेगा।

(2) राज्य चिकित्सा संकाय का सचिव, राज्य चिकित्सा संकाय नियमावली के अधीन यथा विहित तथा परिभाषित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु तीन वर्ष तक के लिए अथवा अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन यथा उल्लिखित राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद के सरकारी गजट में अधिसूचित किये जाने तक के लिए, जो भी पूर्ववर्ती हो, प्राधिकृत होगा।

(3) राज्य चिकित्सा संकाय का सचिव, सचिव की नियमित नियुक्ति किये जाने तक के लिये परिषद का पदेन सचिव होगा और राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा सामान्य सेवाओं का विस्तार किया जाना जारी रहेगा।

सामान्य उपबंध

45–(1) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु विभिन्न मदों में प्राप्त निधियाँ, राज्य चिकित्सा संकाय तथा राज्य सहबद्ध और स्वाथ्य देख-रेख परिषद के संयुक्त शासी निकाय द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद को अंतरित की जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय की पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से संबंधित आस्तियां तथा देनदारियाँ उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय तथा राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद के संयुक्त शासी निकाय द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुसार राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद को अंतरित की जायेंगी।

3. उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय के परिसर का उपयोग परिषद द्वारा दोनों संस्थाओं की संयुक्त सहमति से कार्यालय के प्रयोजन हेतु किया जायेगा।

4. उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय के वर्तमान कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं दोनों संस्थाओं की संयुक्त सहमति से परिषद को अन्तरित की गयी हों, को वही वेतन, प्रसुविधाएं, सुविधाएं एवं सेवा शर्तें प्रदान की जायेंगी जो उनके लिए उनकी मूल संस्था में लागू हों।

5. यदि उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय और उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उक्त मामला न्याय निर्णयन के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय दोनों संस्थाओं के लिए अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

6. नियमों के निर्वचन से संबंधित किसी मामले में, राज्य सरकार का निर्वचन अन्तिम होगा।

7. राज्य सरकार परिषद के लिये समय-समय पर सामान्य निदेश जारी कर सकती है।

8. राज्य सरकार इस नियमावली के किन्ही उपबंधों के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ सामान्य या विशेष आदेश कर सकती है, जैसाकि वह निष्पक्ष व्यवहरण या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे, परन्तु यह कि वह, अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध एवं प्रतिकूल न हो।

आदेश से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र-क

[नियम 12 (8), 16 (9) देखें]

प्रथम नियुक्ति एवं पद त्याग के समय वृत्तिक और वाणिज्यिक अभियोजन या अन्तर्वलन का विवरण।

क्र. सं.	संबंध	नाम	घोषणा के दिनांक से गत तीन वर्ष में धारित वृत्तिक पद, यदि कोई हो	गत तीन वर्षों में, वाणिज्यिक अभियोजन/अन्तर्वलन, यदि कोई हो
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़े

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ख

[नियम 36 (2) देखें]

राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक पंजी में रजिस्ट्रीकरण हेतु और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र।

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)
2. लिंगः पुरुष/महिला/अन्य
3. आयु:
4. माता/पिता का नाम (पूर्ण नाम)
5. क्या आप भारत के नागरिक हैं
   (क) जन्म से अथवा
   (ख) निवास द्वारा
   यदि ऐसा है, तो भारतीय नागरिक बनने का दिनांक उल्लिखित कीजिए
6. जन्म तिथि व स्थान
7. पिन कोड सहित वर्तमान व्यवसाय और पता (बड़े अक्षरो में)
8. पिन कोड सहित स्थायी पता (बड़े अक्षरो में)
9. दूरभाष संख्या
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के संदाय का ब्यौरा
11. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं से पूर्व/उनसे भिन्न शैक्षिक अर्हताओं का ब्यौरा

शैक्षिक अर्हता	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष
मैट्रिक अथवा समकक्ष			
उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष			

12. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता का ब्यौरा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किया गया हो।

अर्हता/अर्हताओं का नाम	संस्थान/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि (प्रशिक्षुता के साथ)	प्रशिक्षुता अस्पताल/ संस्थान का नाम और पता	प्रवेश व उत्तीर्ण होने का दिनांक

13. कोई अन्य अभ्युक्तियां/सूचना जो आवेदक देना चाहे।

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

टिप्पणी:

1. आवेदन पत्र का पूर्ण रूप से और स्पष्ट तरीके से भरा होना चाहिए।
2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए:-
(क) डिग्री/डिप्लोमा की मूल प्रति या विश्वविद्यालय के डीन से औपबंधिक प्रमाण-पत्र जिस निमित्त आवेदक डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र है और रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र के साथ अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां भी अग्रसारित की जाएं।
(ख) महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष द्वारा जारी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (अनिवार्य क्रमवर्ती प्रशिक्षुता)।
(ग) मूल औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र।
(घ) दो हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, सामने की ओर से।
(ङ) आवेदन के साथ उपलब्ध करायी गयी दो स्व-आसंजक पर्ची पर हस्ताक्षर।
3. कुल रजिस्ट्रीकरण फीस आवेदन के समय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संदत्त की जानी है।

प्रपत्र-ग

[नियम 37, 38(1), 39(1) देखें]

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति अधिनियम, 2021 की धारा 33(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र।

प्रमाण पत्र संख्या-उ0प्र0रा0स्व0स0प्र0/2021

नाम	
पुरुष/महिला/अन्य	
माता/पिता का नाम	
पता	
रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और स्थान	
अर्हता पूरा करने का दिनांक	

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यह राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति पंजी में ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की एक सत्य/द्वितीयक नवीकृत प्रति है।

लखनऊ

(मुहर)

सचिव

उ0प्र0 रा0स्व0स0प्र0

दिनांक :

****

टिप्पणी:

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक को अपने पते में किसी तरह के परिवर्तन को सचिव के संज्ञान में सावधानीपूर्वक तत्काल लाना चाहिए और तत्संबध में सचिव द्वारा उसे प्रेषित समस्त प्रकार के पृच्छाओं का उत्तर देना चाहिए, ताकि उनका सही पता रजिस्ट्रीकृत वृत्तिकों की पंजी में प्रविष्ट किया जा सके।

(2) पते में परिवर्तन के लिए कोई प्रभार नहीं है।

(3) (एम) और (एफ) क्रमशः (पुरुष) और (महिला) को दर्शाता है।

(4) द्विप्रतीक प्रमाण-पत्र/नवीकृत प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में फीस प्रभार्य है। फीस के संदाय की रीति राज्य सहबद्ध स्वास्थ्य परिषद द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगा।

प्रपत्र-घ

[नियम 41 (3) देखिये]

आवेदन का प्रपत्र

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति अधिनियम, 2021 के नियम के अधीन अतिरिक्त योग्यताओं का रजिस्ट्रीकरण।

1. वृत्तिक का नाम-
2. प्राथमिक अर्हता रजिस्ट्रीकरण संख्या-
3. प्राथमिक रजिस्ट्रीकृत अर्हता और अर्हता प्राप्ति का वर्ष-
4. पता एवं फोन नम्बर जैसा कि रजिस्टर में दिया गया हो-
5. परिषद जिसके साथ पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हो (यदि कोई हो)-
6. बड़े अक्षरों में वर्तमान पता और पिन कोड एवं फोन नम्बर-
7. बड़े अक्षरों में स्थायी पता और पिन कोड एवं फोन नम्बर-
8. आवेदन के लिए अतिरिक्त अर्हता का विवरण-

योग्यताओं का नाम	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम की अवधि (इंटर्नशिप सहित)	अस्पताल/संस्थान का नाम व पता जहाँ इंटर्नशिप किया हो	प्रवेश एवं उत्तीर्ण होने का दिनांक

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा कृत उपरोक्त प्रविष्टियाँ सही हैं।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(नाम)

अतिरिक्त अर्हता रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन भरने का अनुदेश

1. आवेदन पत्र समुचित रूप से और स्वच्छतापूर्वक भरा जाना चाहिए।
2. प्रत्येक अर्हता हेतु सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निधि, लखनऊ, लखनऊ के पक्ष में संदेय फीस का अप्रति संदेय क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट शुल्क स्वरूप आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अथवा इसे ऑनलाइन संदत्त किया जा सकता है।
3. अभ्यर्थी से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा या स्नातकोत्तर अर्हता के औपबंधिक प्रमाण-पत्र की मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित करने की अपेक्षा की जाती है।
4. आवेदन सीधे इस कार्यालय को अग्रसारित किया जाना है और सचिव, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियाँ, परिषद लखनऊ को सम्बोधित किया जाना है।

प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं को जारी किया जायेगा जो मान्यता प्राप्त आधारभूत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता धारित करते हों और जिन्होंने बाद में अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता/(अर्हताएं) प्राप्त कर ली हों।

प्रपत्र-(ङ)

[नियम 43 (4) देखें]

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति परिषद की वार्षिक रिपोर्ट।

वर्ष

1. प्रस्तावना
2. परिषद का गठन
3. परिषद
4. परिषद के उद्देश्य
5. परिषद के कृत्य
6. सलाहकार परिषद (यदि कोई हो)
7. सलाहकार परिषद
8. वृत्तिक परिषद
9. विभिन्न वृत्तिक परिषदों की गतिविधियाँ
10. विभिन्न वृत्तिक श्रेणियों के अधीन प्रत्येक वृत्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम का मानकीकरण एवं कार्य क्षेत्र
11. कार्य स्थानान्तरण
12. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण
13. अपील
14. संस्थनों का प्रत्यायन एवं रेटिंग
15. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा प्रणाली का विकास (जिसमें राज्य वितरण सम्मिलित है।)
    (क) विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय
    (ख) संकाय संख्या
    (ग) विद्यार्थियों का नामांकन
    (घ) स्नातक छात्र
    (ङ) रोजगार सांख्यिकी (वर्तमान वर्ष में कार्य बल में वृद्धि, ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनके पास रोजगार न हो, इत्यादि।)
    (च) विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध का विकास
    (छ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा के विकास पर सघन सांख्यिकी
16. निजी संस्थाओं एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों के लिए फीस अवधारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त
17. सामान्य प्रवेश परीक्षा
18. निकास सह अनुज्ञप्ति परीक्षा
19. राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
20. स्वास्थ्य देख-रेख का निर्धारण, जिसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देख-रेख अवसंरचना के लिए मानव संसाधन सम्मिलित हैं और इसके विकास के लिए रोड मैप
21. वेबसाइट
22. विधिक मामले
23. सतर्कता
24. सूचना का अधिकार
25. लेखा और अधिष्ठान, जिसमें वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्मिलित है
26. प्रकाशन
27. प्रकीर्ण

दिनांक :

(सचिव)
उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख परिषद

(अध्यक्ष)
उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख परिषद

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 25/LXXI-4099–192-2021, dated February 17, 2023 :

No. 25/LXXI-4099–192-2021

Dated Lucknow, February 17, 2023

IN exercise of the powers conferred by section 68 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Act no. 14 of 2021) the Governor is pleased to make the following rules to provide for the constitution of the Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council, conditions of Service of Chairperson and Members of the Council, procedure of transaction of business of the Council and for matters connected therewith or incidental thereto.

PART-I
GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette.*

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) Act means the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Act no. 14 of 2021);

(b) "Council" means the Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council constituted under sub-section (1) of section 22 of the Act;

(c) State Medical Faculty means the Uttar Pradesh State Medical Faculty constituted *vide* Notification No. 1228-V-202, dated November 10, 1926;

(d) "Form" means a form annexed to these rules;

(e) "Section" means a section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the respective meaning assigned to them in the Act.

PART-II
CONSTITUTION OF THE COUNCIL

Nomination of Chairperson of the Council

3. (1) The Chairperson of the Council shall be nominated on the recommendation of a Search *cum* Selection Committee.

(2) The Search *cum* Selection Committee constituted by the State Government shall consist of the following persons, namely:-

I.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary Medical Education Department.	- Chairperson
II.	Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University	- Member
III.	One member to be nominated from King George's Medical University, Lucknow/ Dr. Ram Manohar Lohia Institute, Lucknow/ Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow/Uttar Pradesh University of Medical Sciences Saifai, Etawah	- Member
IV.	One expert to be nominated from the (All India nstitute of Medical Sciences) outside the State of Uttar Pradesh	- Member
V.	One expert to be nominated from the Medanta Hospital, Lucknow / Vivekanand Polyclinic & Ayurvigyan Sansthan, Lucknow/ Apollo Hospital, Lucknow	- Member
VI.	Director General, Medical Education & Training	-Convenor Member

Nomination of experts of the Search *cum* Selection Committee

4. Nomination of experts of the Search *cum* Selection Committee shall be done by Director General, Medical Education & Training who shall send a panel of names for approval of the Minister of Medical Education who may amend the list before nominating the experts.

Procedure for nominating Chairman of the Council

5. The procedure for nominating Chairman of the Council shall be as given below:-

(i) The Director General, Medical Education & Training will invite applications through wide publication in at least 02 daily newspapers (English & Hindi) as well as by uploading on their website.

(ii) The applications received within stipulated time shall be shortlisted for the purpose of interview by a three-member committee chaired by the Director General, Medical Education.

(iii) The Search *cum* Selection Committee shall determine its own methodology and regulate its own procedure for recommendation in a transparent and merit based manner.

(iv) The Search *cum* Selection Committee shall prepare a panel of at least three names which, in its opinion, is suitable to hold the said office, along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons included in such panel but shall not indicate any order of preference.

(v) The Search *cum* Selection Committee shall, before recommending any person , satisfy itself that such person does not have any financial or other interest, which is likely to affect prejudicially his function as Chairperson.

(vi) No nomination shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Search *cum* Selection Committee.

(vii) The Chief Minister shall nominate the Chairperson of the Council, out of the panel of names submitted to him by the Search *cum* Selection Committee.

(viii) Where the Chief Minister does not consider any one or more of persons recommended by Search *cum* Selection Committee to be suitable, or if one or more persons recommended is or are not available, he may require the Committee to submit a list of fresh names.

(ix) The State Government shall, within a period of three months from the date of occurrence of vacancy, by reason of death, resignation or removal or within three months before the end of the tenure, make a reference to Search *cum* Selection Committee for the nomination of the Chairperson of the Council.

Nomination of members of the Council under clause (e),(f) of section 22(3) and appointment of President/Members of the Autonomous Board under section 29(2)

6. (1) For nomination of members of the Council and appointment of President/Members of the Autonomous Board, Director General of Medical Education & Training shall prepare a panel of three names for each vacancy and submit to the Minister Medical Education Department who may amend the list.

(2) Director General of Medical Education & Training shall determine its methodology and regulate its own procedure for preparing the panel of names in a transparent and merit based manner.

(3) The panel of names prepared by Director General of Medical Education & Training shall consist of concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person included in such panel.

(4) Director General of Medical Education & Training shall ensure that such person whose name is included in the panel, does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as President/Member.

(5) The Minister shall nominate the members of the Council and appoint the President/Member of the Autonomous Board, out of the panel of names submitted by Director General of Medical Education & Training.

(6) The State Government shall, within a period of three months from the date of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal or within three months before the end of the tenure make a reference to Director General of Medical Education & Training for appointment/nomination of President/member of Autonomous Board/Council.

Qualification of Chairperson

7. The Chairperson shall be a person of outstanding ability, Proven administrative capacity and integrity, possessing a Post-graduate degree in any profession of recognised category of allied and healthcare sciences from any University

and having experience of not less than twenty-five years in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least ten years shall be as a leader in the area of allied and healthcare professions.

Qualification of Member under section 22(3) (e)

8. Member of the Council under clause (e) of sub-section (3) of section 22 shall be a person of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing minimum graduate preferably post-graduate degree in any profession of recognised category of allied and healthcare sciences from any University with experience of not less than fifteen years in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least five years experience shall be as a leader in the field of allied and healthcare professions:

Provided that for the counting of post-qualification experience, number of years of service post completion of Graduation (B.Sc.) degree shall be counted.

Qualification of Member under section 22(3) (f)

9. Member of the Council under clause (f) of sub-section(3) of section 22 shall be a person having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity from amongst the charitable institutions which have been in operation for at least fifteen years in the healthcare system, preferably with a tertiary or super speciality hospital engaged in direct delivery of Affordable Healthcare Service and Education:

Provided no institution shall be represented by more than one nominee at a time.

Autonomous Board

10. The President or members of Autonomous Board shall be a person possessing minimum Graduate preferably Post graduate degree in any profession of recognised category of allied and healthcare science with experience of not less than 10 years in the field, out of which at least three years shall be as a leader in the allied and healthcare professions and having an outstanding ability, proven administrative capacity and integrity and shall be a registered professional of respective category.

Salaries, and Allowances of Chairperson, President and Member of the State Allied and Healthcare Council and Autonomous Board.

11. (1) If the Chairperson comes from Central/State Government on deputation basis, he will be entitled to pay matrix level 14 Rs. 144200-218200. In case of retired person joining as chairperson, he will be entitled to last pay drawn minus pension

(2) If the Chairperson of Council is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him. His tenure in the Council shall be treated as transfer on deputation, in terms of prevalent rules of the State Government.

(3) The President and Members of the Autonomous Board Council shall be paid travelling allowances and daily allowances in accordance with the rules as applicable from time to time as equivalent in Level-13 in the Pay matrix (131100-216600) of the State Government.

(4) President and members shall also be entitled to a sitting fee of Rs.5,000/- (Rupees five Thousand only) for each day of sitting of the Council or as decided by the Council from time to time.

Other Conditions of Service Chairperson, President, Member

12. (1) The Chairperson, President and Member of the Council and Autonomous Board shall hold office for a term not exceeding two years from the date on which they enter upon their office and shall be eligible for re-nomination for a maximum period of two terms.

(2) Leave rules applicable to a regular Government employee will not be applicable to the Chairperson who is appointed on consolidated Pay. Such appointee will be entitled to 12 days leave on Pro-rata basis in a calendar year.

(3) Leave and other entitlement of Chairperson other than appointee on consolidated pay, shall be as per prevalent rules or guidelines applicable to the State government employees.

(4) The State Government shall be the authority competent to grant leave to the Chairperson of State Council.

(5) The Chairperson/President and members shall be own controlling officer in respect of bills relating to their allowances.

(6) The President or member of the Autonomous Board may relinquish his office or may be removed from his office as prescribed, for Chairperson and member of the Council under section 24 of the Act.

(7) The Chairperson of the Council shall fill return of assets and liabilities in the manner as per prevalent rules or guidelines for the employees of equivalent level in the State Government.

(8) The Chairperson shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form A of the schedule annexed with these rules.

Salaries, allowances and other conditions of services of the Secretary, other officers and employees of the Council under sub-section (2) of section 28

13. (1) If the Secretary comes from Central/State Government on deputation basis, he will be entitled to pay matrix level 13(ka) Rs. 131100-216600. In case of retired person joining as Secretary, he will be entitled to last pay drawn minus pension

(2) If the Secretary of the Council is in service of State Government/Central Government his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him and his tenure in the Council shall be treated as transfer on deputation, in terms of prevalent rules of the State Government.

Term of office of Secretary to Council

14. The Secretary to the Council shall hold office for a term of four years. The Secretary shall, however, cease to hold office on attaining the age of sixty-five years, if attained before the completion of his term.

Qualification of the Secretary to the Council

15. The Secretary to Council shall possess the following qualifications:-

(a) a post-graduate degree in any discipline, of allied and Healthcare education or Healthcare policy or health administration or public health from any recognized University/Deemed to be University by Central Government/State Government/ U.G.C.;

(b) outstanding ability and proven administrative capacity and integrity;

(c) administrative experience of not less than ten years. Experience in the Central Government or a State Government or any statutory body will be preferred.

Role of the Secretary

16. (1) The Secretary shall exercise, in respect of the office of the Council, (Secretariat), such powers as are exercised by the "Head of Office" under the Government of Uttar Pradesh and perform such duties as have been given in the Act and rules.

(2) The Secretary shall also be responsible for the safety of the property of the Council and the control and management of the Council Secretariat, Accounts and Correspondence, and shall see that the staff attend punctually, and generally discharge all such duties as may be required of them by the Council, the Advisory Council and the Professional board for the purposes of the Act.

(3) The Secretary shall attend and take notes of the proceedings of meetings of the Council, any sub-committee thereof, Advisory Council and the Professional board and other committees as may be appointed by the Council or any of its bodies.

(4) The Secretary shall, not less than 90 days before the expiration of the term of any existing appointment, draw the attention of the Chairperson, to the approaching vacancy, and the latter shall forthwith report it to the Council in order that a new appointment may be made to take in effect from the day on which the existing appointment will expire.

(5) The Secretary shall be the certifying officer for travelling, halting and other allowances to inspectors and other employees of the Council and the Chairperson of the Council for those of the Secretary.

(6) Leave and other entitlements of the Secretary and other officers of the Council shall be as per the prevalent rules/guidelines of the Government of Uttar Pradesh.

(7) The Secretary shall be the authority competent to grant leave to all the other employees of the Council.

(8) The Secretary of the Council shall file return of assets and liabilities in the manner as prescribed by the State Government for employees of equivalent level in the State Government.

(9) The Secretary shall also declare his professional and commercial engagement or involvement on his first appointment and at the time of demitting office in **Form A** of the said Schedule.

Duties and tenure of officers and employees (other than Secretary)

17. (1) Officers and the employees of the Council shall retire from service on superannuation on the afternoon of the last day of the month in which an officer or employee attains the age of sixty years.

(2) Officers and employee of the Council shall discharge such duties as may be assigned to them by the Chairperson and Secretary of Council from time to time under the overall supervision of the Secretary.

(3) The Chairperson of the Council shall be the appointing authority of the employees of the Council. The Chairperson shall be the authority competent to grant leave to the Secretary of the Council.

(4) The Council shall create or abolish new or permanent post in different cadre, domain experts, Administration, Account, IT, supporting staff *etc*, as it considers necessary for the smooth functioning of the Council, subject to the approval of State Government.

(5) The posts said shall be filled either through deputation or direct recruitment as per State guidelines, subject to the approval of State Government.

(6) The Council may appoint consultant as required on contractual basis for a maximum period of two years subject to the availability of its budgetary fund.

(7) The Council shall recruit the employees on various posts *viz*. Computer Operator, Steno, Driver, Peon, Guard *etc*. from outsourcing as per State Government guidelines from time to time.

(8) The Council shall make rules for recruitment, promotion, pay-scale, leave, advances and other services matters for it's employee with the approval of State Government.

PART-III

MEETINGS AND TRANSACTION OF BUSINESS OF COUNCIL

Time and place of the meetings of the Council

18. (1) The time and place of the meetings of the Council shall be decided by the Chairperson.

(2) Chairperson may also call a special meeting of the Council at any time after giving three days notice to deal with any urgent matter requiring the attention of the Council:

Provided that at a special meeting, the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall only be discussed.

Notice of meetings and agenda paper

19. (1) Notice of every meeting other than a special meeting, shall be communicated by the Secretary to each member of the Council not less than fifteen days before the date of the meeting.

(2) The Secretary shall issue with the notice of the meeting a preliminary agenda paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved of which notice in writing has previously reached him and the names of the movers.

(3) A member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or an amendment to any motion so included shall give notice to the Secretary not less than five clear days before the date fixed for the meeting.

(4) The Secretary shall, not less than ten clear days before the date fixed for the meeting, or in the case of a special meeting, with the notice of the meeting, issue a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.

(5) A member who wishes to move an amendment to any motion included in the agenda paper, but not included in the preliminary agenda paper shall give notice thereof to the Secretary not less than three clear days before the date fixed for the meeting.

(6) The Secretary shall cause a list of all amendments of which notice has been given under sub-rule (e) to be made available for the use of every member:

Provided that the Chairperson may, if the Council agrees, for reasons to be recorded in writing, allow a motion to be moved at a meeting notwithstanding the fact that notice thereof was received late to admit of compliance with this rule.

Admissibility of motion

20. The Chairperson shall disallow any motion,–

(1) if the matter to which it relates, is not within the scope of the Council functions;

(2) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Council at any time during the six months immediately preceding the date of the meeting at which it is designed to be moved:

Provided that such a motion may be admitted at a special meeting of the Council convened for the purpose on the requisition of not less than two – thirds of the members of the Council:

Provided further that nothing in these rules shall operate to prohibit discussion of any matter referred to the Council by the State Government in the exercise of any of its functions under the Act.

(3) unless it is clearly and precisely expressed and raises substantially one definite issue;

(4) if it contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements:

Provided that if a motion can be rendered admissible by amendment, the Chairperson may, *in lieu* of disallowing the motion, admit it in the amended form. When the Chairperson shall disallow any motion, the Secretary shall inform the concerned member stating the reasons for rejection thereof.

Adjournment for want of quorum

21. (1) The quorum of the meeting shall be one-half of the total members of the Council including the Chairperson.

(2) If, at any time appointed for a meeting or during the course of any meeting, a quorum is not present, the meeting shall be adjourned, and if a quorum is not present, on the expiration of thirty minutes from such adjournment, the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the Chairperson of the Council may appoint.

(3) Quorum for special meeting shall be one-third of the total members of the Council, including the Chairperson.

Conduct of business

22. (1) The Chairperson shall preside at every meeting of Council. In the absence of Chairperson the members present in the meeting shall elect amongst them any member to preside over the meeting.

(2) Every matter raised by a member shall be determined on a motion moved by the member duly seconded and put to the Council by the Chairperson.

(3) When a motion has been moved and seconded and put to the Council by the Chairperson, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative or any member may, subject to sub-rule (8) on scope of amendments, move an amendment to the motion:

Provided that the Chairperson shall not allow an amendment to be moved which, if it had been a substantive motion, would have been inadmissible considering is beyond the scope of functions of the Council.

(4) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting may be brought forward by another member with the permission of the Chairperson

Amendment to Motions

23. When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the Chairperson shall state or read to the Council the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed serially.

Identical Motions

24. When motions identical in purport stand in the name of two or more members, the Chairperson shall decide whose motion shall be moved and the other motion or motions shall thereupon be deemed to be withdrawn.

Scope of Amendments

25. (1) An Amendment shall be relevant to, and within the scope of, the motion to which it is proposed.

(2) An amendment may not be moved that negates the original motion.

(3) The Chairperson may refuse to put to the Council an amendment which in his opinion is not relevant to the motion.

Form of Amendments

26. A motion may be amended by: – (a) Comission, insertion or addition of words, and (b) The substitution of words for any of the original words.

Debate

27. (1) When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than:-

(a) an amendment of the motion or of the amendment as the case may be, as proposed in rule 22;

(b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either to a specified date and hour or sine die;

(c) a motion for the closure, namely a motion that the question be now put;

(d) a motion that the Council instead of proceeding to deal with the motion do pass to the next item on the programme of business:

Provided that no motion of the nature shall be moved or seconded by a member who has already spoken to the question then before the meeting:

Provided further that a motion referred for closure or passage to next item shall be moved without any speech.

(2) It shall be the discretion of the Chairperson to accept or refuse a proposal for the adjournment of the debate on the motion or amendment.

(3) Upon accepting the closure motion, the Chairperson shall put the substantive motion or amendment to vote after allowing the mover the right to reply.

Withdrawal of Motion

28. A motion or an amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn save with the leave of the Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissents from the granting of leave.

Discussions by Members

29. When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the Chairperson may direct:

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the Chairperson, confine himself to seconding the motion or amendment, as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

Right of reply of the Mover

30. The mover of a motion and, if permitted by the Chairperson, the mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply and no other member shall speak more than once to any debate except with the permission of the Chairperson, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member then addressing the Council:

Provided that a member may at any stage of the debate may raise a point of order substantially incorporating therein a point of law, or statutory procedure, but shall not be allowed to make any speech:

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on an amendment subsequently moved to the motion.

Voting on Motion

31. When any motion involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Chairperson to divide the motion and put each or any point separately to vote as he may think fit.

Voting on Amendment to Motion

32. (1) An amendment to a motion shall be put to vote.

(2) If there are more amendments than one to a motion the Chairperson shall decide the order in which they shall be taken up.

(3) Voting shall ordinarily be by show of hands, but it may be by ballots in case a demand to that effect is made by not less than three members.

(4) The result of the votes shall be announced by the Chairperson.

(5) In the event of equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.

Adjournment of Meetings

33. (1) The Chairperson may if he deems necessary at any time, adjourn any meeting to any future date or to any hour of the same day stating the reasons thereof.

(2) Whenever a meeting is adjourned to a future date, the Secretary shall send notice of the adjourned meeting to all the members.

(3) When a meeting has been adjourned to a future date and the Chairperson changes it to any other date for compelling reasons, the Secretary shall communicate the said change to each member.

(4) At a meeting adjourned to a future date any motion standing over from the previous day shall, unless the Chairperson otherwise directs, takes precedence over other matters on the agenda.

(5) Either at the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the Chairperson may suggest a change in the order of business on the agenda and if the Council agrees such a change shall take place.

(6) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting.

(7) The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for the ordinary meeting

Points of Order

34. (1) The Chairperson shall decide all points of order or disputes which may arise in any meeting.

(2) If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these rules have no provision the Chairperson shall decide the same.

Authorised persons to attend Council Meetings

35. In the meetings of the Council, no person other than the members, officers and employees of the Council shall be present except with the prior permission or special invitation of the Chairperson.

Fees for registration in the State Register under sub–section (1) of section 33

36. (1) The Council shall maintain the Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Professionals Register, that shall be online and live.

(2) The applicant shall fill the application as per Form B or a format designed by the Council for the issuance of the certificate of registration.

(3) A fee as fixed from time to time by the Council may be charged as registration fee, payable in favour of Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council fund along with the application:

Provided until the fixation of fee by Council, the fee prescribed by the U.P. State Medical Faculty will be charged.

PART-IV
FORMS, FEES AND REGISTERS

Form of certificate of registration under sub–section (3) of section 33

37. A certificate in *Form C* annexed to these rules or as modified by the Council shall be issued by the Secretary under his seat.

Fees and form for duplicate certificate under section 34

38. (1) A Certificate in *Form C* annexed to these rules or as modified by the Council shall be issued by the Secretary under his seal.

(2) In case of issuance of duplicate certificate, a fee as fixed from time to time by the Council may be charged, payable in favour of Uttar Pradesh State Allied & Healthcare Council fund along with the application:

Provided that until the fixation of fee by Council, the fee prescribed by the The Uttar Pradesh State Medical Faculty will be charged.

Fee and the manner of payment of such fee under sub-section (1) of section 35

39. (1)A renewal certificate in *Form C* annexed to these rules or as modified by the Council shall be issued by Secretary under his seal.

(2) In case of issuance of renewal certificate, a fee as fixed from time to time by the Council may be charged, payable in favour of Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council Fund along with application.

Fee for the restoration of name in the state register under proviso to sub-section (2) of section 35

40. In case of removal of name of defaulter under proviso to sub-section (2) of section 35, the name so removed may be restored to the said register on payment of such fee as fixed by the Council from time to time, payable in favour of Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council Fund along with the application.

Fee for restoration of name in the state register under Section 37

41. (1) In case of restoration of name of a person in State register, a fee as fixed from time to time by the Council may be charged, payable in favour of Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council Fund.

(2) Form, Manner and fees of application for additional entry in State register shall be as follows:-

(i) application for registration of additional qualification in the State Allied Healthcare Professionals register may be submitted online to the Council;

(ii) a fee as fixed from time to time by the Council for new qualification/continuing education may be charged, payable in favour of Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council fund;

(iii) copy of additional qualification (duly attested degree or diploma) for which additional entry is sought shall be sent along with the application.

(3) A certificate in Form-D or as modified by the Council shall be issued by the Secretary under his seal.

The manner of application of fund for expenses incurred in discharge of the functions of Council under sub-section (3) of section 51

42. The fund referred to in sub-section (1) of section 51 shall be applied for the expenses of the Council incurred in discharge of its functions for the purposes of the Act/Council, in such manner as decided by the Council from time to time.

Form and time for preparing annual report under Section 53

43. (1) At the end of a period of twelve months ending with the 31st March of each year, the Council shall prepare the following financial statement along with necessary schedules, notes on accounts, significant accounting policy in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statement prescribed by the State Government:-

(a) Balance sheet;

(b) Income and expenditure account;

(c) Receipt and payment account.

(2) The annual financial statement shall be approved and adopted by the Council and for the purpose of authentication, be signed by the Chairperson and Secretary of the Council.

(3) The approved annual financial statement of the Council shall be audited by the Chartered Accountant appointed by the council and presented to the Council in the meeting within six months after completion of the financial year.

(4) The Council shall prepare once in every year an annual report in respect of the matters specified in Form E annexed to these rules.

(5) The Council shall submit annual report to the State Government by 31st October of every year in soft and hard copy to the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Medical Education Department of Uttar Pradesh Government.

PART V
MISCELLANEOUS

Interim arrangement

44. (1) The Governing body constituted under the State Medical Faculty rules shall be in existence and functional for three years or until a State Allied and Healthcare Council as mentioned under sub-section (3) of section 22 of the Act, is notified in the official Gazette whichever is earlier.

(2)The Secretary of the State Medical Faculty shall be authorized to perform his duties as prescribed and defined in State Medical Faculty rules for three years or until a State Allied and Healthcare Council as mentioned under sub-section (3) of section 22 of the Act, is notification has already been published in the official Gazette but which body is actually working right now- council in the official Gazette, whichever is earlier.

(3) The Secretary of the State Medical Faculty will be *Ex-Officio* Secretary of the Council till the regular appointment of the Secretary and common services will continue to be extended by State Medical Faculty.

General Provisions

45. (1) The funds received by Uttar Pradesh State Medical Faculty for paramedical courses in different heads shall be transferred to Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council in accordance with the prevalent rules (by joint Governing Body of State Medical Faculty and State Allied and Healthcare Council).

(2) The assets and liabilities of Uttar Pradesh State Medical Faculty, which are related to paramedical courses, shall be transferred to State Allied and Healthcare Council, in accordance with the prevalent rules (by joint Governing Body of Uttar Pradesh State Medical Faculty and State Allied and Healthcare Council).

(3) The premises of Uttar Pradesh State Medical Faculty will be used for the office purposes by the Council with the joint concurrence of the which institutions.

(4) The current employees of the Uttar Pradesh State Medical Faculty whose services are transferred to the Council, with the joint concurrence of both the institutions, shall be provided the same pay, benefits, facilities and service conditions which are applicable to them in their parent institution.

(5) If any dispute arises between Uttar Pradesh State Medical Faculty and Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council, the matter shall be referred for adjudication to the State Government and the decision of the State Government shall be final and binding to both the institutions.

(6) In case of any matter regarding interpretation of the rules, the interpretation of the State Government shall be final.

(7) The State Government may issue general directions to the Council from time to time.

(8) The State Government may for the purpose of removing any difficulty in the implementation of any provisions of these rules make general or special order as it may be considered necessary or expedient in the interest of fair dealing or in public interest:

provided it is not repugnant and contrary to the provisions of the Act.

By order
ALOK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

FORM A

[*See* Rule 12(8)]

STATEMENT OF PROFESSIONAL AND COMMERCIAL ENGAGEMENTS OR INVOLVEMENT ON FIRST APPOINTMENT AND AT THE TIME OF DEMITTING OFFICE

Sl. No	Relation	Name	Professional position held in last three years from the date of declarations, if Any	Commercial engagements/ involvement held in last three years from the date of declarations, if any
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date:

Signature of Applicant

FORM B

[*See* Rule 36(2)]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN THE STATE ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL'S REGISTER AND FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. Name of the applicant (In Block Letters)
2. Gender: Male/Female/Others
3. Age:
4. Parent's Name (Full)
5. Are you a citizen of India
   a. by birth or
   b. by domicile

If so, state the date of becoming Indian citizen.

6. Date and place of Birth
7. Present Occupation and Address (In block letters) with pin code
8. Permanent Address (In block letters) with pin code
9. Phone number
10. Details of payment of fee towards registration
11. Details of educational qualifications prior to/ other than allied and Healthcare qualifications

Educational Qualification	Name of School/ College	Board / University	Year of Passing
Matriculation or equivalent			
Senior Secondary or equivalent			

12. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied

Name of Qualification(s)	Name of Institute/ College / University	Duration of the Course (with internship)	Name & address of hospital/ institute of Internship	Date of admission and passing

13. Any other remarks/information that applicant wants to submit.

Signature of Applicant

Dated:

NOTE:–

1. The application form should be properly and neatly filled in.
2. Following documents to be enclosed with application:
   (a) Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University/or Dean of the College that the applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded along with the Registered Certificate.
   (b) Duly attested copy of certificate of practical training. (Compulsory rotating internship) issued by Dean of the college.
   (c) Provisional registration Certificate in original.
   (d) Two recent passport size photographs front view.
   (e) Signature on two self-adhesive slips provided with application.
3. The total registration fee is to be paid along with the application as fee for registration.

FORM C

(*See* Rule 37)

Certificate under section 33 (3) of the Council for Allied and Healthcare Professions Act, 2021

Registration certificate.

Certificate No. UPSAHC/ /2021

Name	
(M) / (F) / Other	
Parent's Name	
Address	
Date and place of registration	
Qualification	
Date of completing qualification	

It is hereby certified that this is a true/duplicate/renewed copy of the above specified Name in the State Allied and Healthcare Professional's Register

(SEAL)

Secretary of UPSAHC

LUCKNOW

Date

****

NOTE:

1. Every Registered Practitioner should be careful to send to the Secretary's immediate notice of any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.
2. No charge is made for alteration of address.
3. (M) & (F) indicates (Male) & (Female) respectively.
4. In case of issuance of Duplicate certificate/renewal certificate fee is chargeable. The fees mode of payment will be as specified by the State Allied Health Council.

FORM D

[*See* Rule 41(2/3)]

Application Form

Registration of Additional Qualification(s) under rule of the Council for Allied and Healthcare Professions Act, 2021

1. Name of the Professional:
2. Primary Qualification Registration Number:
3. Primary registered qualification with year of obtaining:
4. Address and Phone No. as given in the Register:
5. Council with which registered earlier (if any):
6. Present Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No.
7. Permanent Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No.
8. Details of Additional Qualification applied for:

Name of Qualification(s)	Name of Institute/ College	University	Duration of the Course (with internship)	Name & address of hospital/ institute of internship	Date of admission and passing

Date:

Signature of the Candidate

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

Signature of the Candidate

(Name_____)

Instruction to Candidates for filling the application for Registration of additional qualification

1. The application form should be properly and neatly filled in.

2. A non-refundable crossed Bank Draft of fees for each qualification, in favour of Council for Allied and Healthcare Professions Fund, Lucknow, payable at Lucknow, must be enclosed along with the application as fee or can be paid online.

3. The candidate is required to send attested copies by Magistrate / Gazetted Officer, of the degrees/diplomas or provisional certificate of Postgraduate qualification issued by the Registrar of the University concerned.

4. The application is to be forwarded direct, to this office and be addressed to the Secretary, U.P. State Council for Allied and Healthcare Professions, Lucknow.

The certificate will be issued only to those who possess a recognised basic allied and Healthcare qualification and subsequently have obtained recognised postgraduate qualification (s) as per provisions of the Act.

FORM E

(*See* Rule 43)

Annual Report of Council for Allied and Healthcare Professions
Year.....

1. Introduction
2. Constitution of The Council
3. Council
4. Objectives of Council
5. Functions of The Council
6. Advisory Council (if any)
7. Recommendations of The Advisory Council
8. Professional Council
9. Activities of Various Professional Council
10. Standardization of curriculum and scope of practice with respect to each profession under the various professional categories
11. Task Shifting
12. Registration of Allied and Healthcare Professionals
13. Appeals
14. Accreditation and Rating of Institutions
15. Growth of Allied and Healthcare Education System (including State distribution)

    (A) Universities / Institutions / Colleges
    (B) Faculty Strength
    (C) Student's Enrolment
    (D) Graduated Students
    (E) Employment statistics (Addition of workforce in the current year, percentage of students without employment *etc.*)
    (F) Research Development in Universities / Institutions
    (G) Condensed Statistics on Growth of Allied and Healthcare Education
16. Guidelines for Determination of Fees for Seats in Private Institutions and Deemed Universities
17. Common Entrance Examination
18. Exit-cum-Licensing Examination
19. National Teachers Eligibility Test
20. Assessment of Healthcare Including Human Resources for Health and Healthcare Infrastructure and Road Map for Its Development.
21. Website
22. Legal Matters
23. Vigilance
24. Right to Information
25. Accounts and Establishment, including annual audit report
26. Publications
27. Miscellaneous

Date:

(Secretary)
Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council

(Chairperson)
Uttar Pradesh State Allied and Healthcare Council

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1262 राजपत्र–2023–(2112)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 चिकित्सा शिक्षा–2023–(2113)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।